

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 58]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025 — पौष 27, शक 1946

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक / एफ 15-24 / 15-2 / 2023. — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 95 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 49—गग में,—

(एक) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(पांच) धारा 53 के अधीन प्रशासक अथवा धारा 49 की उप-धारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो;”

(दो) उप-नियम (2) में, शब्द “सदस्य सूची” के स्थान पर, शब्द “मतदाता सूची” तथा शब्द “सदस्यता की सूची” के स्थान पर, शब्द “मतदाताओं की सूची” क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) उप-नियम (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

“(चार) ई—मेल द्वारा।”

(चार) उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(घ) ऊपर निर्दिष्ट जानकारी के प्रकाशन के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मतदाता सूची की एक प्रति समन्वयक के कार्यालय में तथा संबंधित सोसाइटी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा एवं प्रकाशन की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा ई—मेल से आयोग को संसूचित करेगा।”

(पांच) उप-नियम (4) के खण्ड (क) में, शब्द “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को हस्ताक्षरित/अंगूठा निशानी” के स्थान पर, शब्द “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा उसके द्वारा सम्यक् रूप से लिखित में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को हस्ताक्षरित/अंगूठा निशानी” प्रतिस्थापित किया जाये।

(छ:) (क) उप-नियम (5) के खण्ड (ड) में, शब्द “अपीलीय प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा” के स्थान पर, शब्द “अपीलीय प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। अपीलीय प्राधिकारी अपील अभिप्राप्त करने हेतु एक रजिस्टर प्ररूप छ-6(क) में संधारित करेगा” प्रतिस्थापित किया जाये।

(ख) उप-नियम (5) के खण्ड (ड) के प्रथम तथा द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि, यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निराकरण 07 दिन की समयावधि में नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से दी गई मतदाता सूची (चिन्हित प्रति), बाध्यकारी और निश्चायक होगी तथा इस प्रकार अंतिम रूप से दिए जाने के पश्चात्, चिन्हित मतदाता सूची को प्ररूप छ-6 (ख) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा :

परन्तु यह और कि, आयुक्त स्वप्रेरणा से, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी चिन्हित प्रति में 07 दिवस के भीतर आवश्यक संशोधन, उपान्तरण, परिवर्धन या विलोपन का निर्देश जारी कर सकेगा एवं इस प्रकार अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात्, ऐसे जारी मतदाता सूची (चिन्हित प्रति) की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन, उपान्तरण, परिवर्धन या विलोपन निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।”

(सात) उप-नियम (5) के खण्ड (छ) में, शब्द “अंतिम सदस्यता सूची” के स्थान पर, शब्द “अंतिम मतदाता सूची” प्रतिस्थापित किया जाये।

2. नियम 49-ड में, —

(एक) उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(घ) यदि पद रिक्त हो, तो सहयोजन तथा मतदान की तारीख और स्थान;"

(दो) उप-नियम (4) के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(घ) प्रत्येक अभ्यर्थी या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से, नामांकन पत्र प्ररूप छ-10 में स्वप्रमाणित आधार कार्ड की प्रति अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र या ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति सहित रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त करेगा :

परन्तु यह कि, आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति भी ऐसे नामांकन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।"

(तीन) उप-नियम (22) के खण्ड (पाँच) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(छ:) यदि पद रिक्त हो, तो मण्डल के सदस्यों के रिक्त पद हेतु रिटर्निंग अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मण्डल की बैठक में तथा सहयोजन के लिये पात्र सदस्यों द्वारा निर्मित उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित संकल्प/द्वारा किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी सहयोजन द्वारा निर्वाचित मण्डल के सदस्यों के नाम की घोषणा प्ररूप छ-22(क) में करेगा।"

(चार) उप-नियम (23) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(23)(क) सोसाइटियों के निर्वाचन के संबंध में आयोग द्वारा संधारित अभिलेख, सोसाइटी के आगामी निर्वाचन अथवा किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के अंतिम निपटारे तक नष्ट नहीं किया जायेगा। तत्पश्चात् आयुक्त सोसाइटी के संचालक मण्डल की प्रथम बैठक के दिनांक से 05 वर्ष पश्चात्, आयोग में संधारित निर्वाचन नस्ती के व्ययन हेतु निर्देश जारी कर सकेगा।"

3. प्ररूप छ-1, छ-2, छ-3, छ-4, छ-5, एवं छ-6, के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“प्ररूप छ - 1

(नियम 49—गग (1) देखिये)

.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....पंजीयन क्रमांक.....
विकास खण्ड जिला.....

सदस्यों की सूची

स. क्र.	सदस्यता पंजी का सरल क्रमांक	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	निवासी (ग्राम का नाम)	अजा/अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य वर्ग	महिला/पुरुष	ऋण यदि कोई हों	“X” व्यतिक्रमी	“Z” निष्क्रिय	उपविधि के अनुसार पात्रता/अपात्रता	मोबाइल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

नोट: जहां चुनाव प्रतिनिधियों द्वारा होते हैं वहां सदस्यता सूची का प्ररूप निम्नानुसार होगा:

स. क्र.	सदस्यता पंजी का सरल क्रमांक	सदस्य सोसाइटी का नाम	प्रतिनिधियों का नाम	निवासी (ग्राम का नाम)	प्रतिनिधि का वर्ग (अजा/अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य वर्ग)	महिला/पुरुष	सदस्य सोसाइटी व्यतिक्रमी है या नहीं	“X” व्यतिक्रमी	“Z” निष्क्रिय	उपविधि के अनुसार पात्रता/अपात्रता	मोबाइल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

सदस्यों का वर्गवार विवरण निम्नलिखित प्ररूप में अंकित किया जाए :

सदस्यों की कुल संख्या			अनारक्षित / सामान्य		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
पुरुष	महिला	योग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत

प्रमाण पत्र

(सोसाइटी के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से जारी किये जाने हेतु)

प्रमाणित किया जाता है, कि सदस्यता सूची में दी गयी जानकारी, सोसाइटी के अभिलेख के अनुसार सही एवं प्रमाणित है। अधोहस्ताक्षरी, सदस्यता सूची पर आपत्तियों की सुनवाई के समय आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी रहेगा ।

सोसाइटी के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सोसाइटी का पूर्ण पता.....

मोबाइल नंबर.....

ई-मेल”

प्ररूप छ-2
(नियम 49-गग (1) देखिये)

कार्यालय सहकारी सोसाइटी मर्या., पंजीयन क्र.
 क्र./निर्वाचन / दिनांक

प्रति,

सचिव,
 राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग,
 छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय— सोसाइटी के नवीन मण्डल/प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु आवेदन।

उक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि सहकारी सोसाइटी मर्या., के मण्डल के लिये निर्वाचन (दिनांक) को संपन्न हुए थे। सोसाइटी के मण्डल का कार्यकाल (दिनांक) को समाप्त हो रहा है। मण्डल का सम्मिलन दिनांक में निर्वाचन हेतु संकल्प पारित किया गया है, निर्वाचन हेतु आवेदन, सोसाइटी के मण्डल के निर्वाचन हेतु संकल्प की सत्यप्रतिलिपि, उपविधि की छायाप्रति सहित निम्नलिखित ब्यौरों के साथ, एतद्वारा प्रस्तुत है :—

- (क) वह तारीख जिस पर अंतिम निर्वाचन हुए थे
 (ख) वह तारीख जिस पर विद्यमान मण्डल के सदस्यों की अवधि समाप्त हो रही है —
 (ग) धारा 53 के अधीन प्रशासक अथवा धारा 49(8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो —
 (घ) नव-रजिस्ट्रीकृत सोसायटी की दशा में, रजिस्ट्रीकरण की तारीख
 (ड.) निर्वाचन के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या :—
 (एक) मण्डल में सदस्यों की संख्या
 (दो) निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या
 (तीन) निर्वाचित होने वाले प्रत्यायुक्तों की संख्या, यदि कोई हो
 (च) क्या उप-विधियां मण्डल के निवाचनों के पूर्व प्रत्यायुक्तों के साधारण निकाय के गठन या वार्डों के सृजन का उपबन्ध करती है और इसके लिये की गई कार्यवाही, यदि कोई हो —
 (छ) कोई अन्य सूचना, जो निर्वाचन के संचालन हेतु सुसंगत हो, यदि कोई हो —
 (ज) प्रक्रिया शुल्क का विवरण —.....

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सहकारी सोसाइटी मर्या.,

मोबाइल नंबर.....
 ई.मेल.....

प्रस्तुति – 3
(नियम 49—गग (3) देखिये)

मतदाता सूची पर आपत्ति हेतु सदस्यों को सूचना

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहकारी सोसाइटी मर्यादित

पंजीयन क्र., जिला.....

क्र./निर्वाचन / दिनांक.....

सूचना

एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि, सोसाइटी के मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन, सोसाइटी की आगामी वार्षिक साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में किया जाना है, जिसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के विवरण के साथ जारी की जायेगी।

अतएव, सोसाइटी की मतदाता सूची का प्रकाशन सोसाइटी कार्यालय, उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, विकासखण्ड कार्यालय एवं वित्तीय बैंक की शाखा के सूचना पटल पर दिनांक को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को, इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो दिनांक से तक सोसाइटी कार्यालय में मेरे द्वारा अधिकृत श्री/ श्रीमती पदनाम अथवा मुझे कार्यालय में वह सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकता है। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत दावे एवं आपत्तियों का निराकरण, सोसाइटी कार्यालय में (दिनांक) को (समय) बजे से किया जायेगा।

दावे एवं आपत्तियों के निराकरण की तिथि को, सदस्य उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे दावे/आपत्तियों के संबंध में व्यक्तिशः सूचना नहीं दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को कोई दावा या आपत्ति है और वह उपस्थित नहीं होता है तो भी उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दावों या आपत्तियों का निराकरण किया जायेगा।

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सहकारी सोसाइटी मर्या.

प्रति,

श्री/ श्रीमती.....

.....

प्रस्तुप ४-४

(नियम 49 गग (3) देखिये)

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....

ਪੰਜਿਧਨ ਕ੍ਰ..... ਜ਼ਿਲਾ

क्र. / निर्वाचन / दिनांक

मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन

मुझे, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक/निर्वाचन/.....
.दिनांक..... के द्वारा..... सोसाइटी की मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिये
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अतएव, मैं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

सहकारी सोसाइटी मर्यादित , एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49—गग के उप-नियम (3) के अधीन सोसाइटी की मतदाता सूची प्रकाशित करता हूँ तथा एतदद्वारा, सूचित करता हूँ कि इस मतदाता सूची के संबंध में यदि किसी सदस्यों को कोई दावा या आपत्ति हो, तो वह मय प्रमाण के सूची प्रकाशित होने के दिनांक से के भीतर लिखित में आपत्ति मेरे द्वारा अधिकृत श्री/ श्रीमती पदनाम को कार्यालयीन समय में सोसाइटी के कार्यालय में मेरे द्वारा अधिकृत अथवा मुझे सूची के प्रकाशन दिनांक से में प्रस्तुत कर सकते हैं।

सूची पर प्रस्तुत दावों एवं आपत्तियों का निराकरण सोसाइटी कार्यालय में दिनांक
समय..... पर किया जायेगा तथा इस प्रकार उपांतरित सूची को, अंतिम मतदाता
 सूची के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

संलग्नः—मतदाता सची क्रमांक..... से तक

स्थानः—

दिनांक:-

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

क्र. /

दिनांक:

प्रतिलिपि-

- सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक (समन्वयक) की ओर सूचनार्थ।
- विकास खण्ड अधिकारी, खण्ड
- शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा
- अध्यक्ष/प्रबंधक की ओर सोसाइटी के सूचना पटल पर सदस्यों के अवलोकन के लिये (दिनांक)..... से (दिनांक)..... तक चर्चा करें एवं प्रकाशन का प्रमाणपत्र प्रदान करें ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारीसहकारी सोसाइटी मर्यादित,

प्ररूप छ - 5
 (नियम 49—गग का उप—नियम (4) देखिये)

मतदाता सूची पर आपत्तियां एवं दावे प्राप्ति की पंजी

सोसाइटी का नाम

स. क.	दावाकर्ता का नाम एवं सदस्यता क्रमांक	आपत्ति या दावा प्रस्तुत करने का दिनांक एवं समय	आपत्ति या दावा का संक्षिप्त विवरण	आपत्ति या दावा निराकरण का संक्षिप्त विवरण	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

प्ररूप छ-6
(नियम 49—गग का उप—नियम (5) देखिये)

कार्यालय – रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहकारी सोसाइटी मर्यादा
 पंजीयन क्र., जिला.....

क्र. दिनांक:

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक/निर्वाचन/.....
 दिनांक..... के माध्यम से मुझे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी
 सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नियम 49—गग
 (3) के अनुसार दिनांक..... को मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। सदस्यों से कोई भी
 आपत्तियां एवं दावे प्राप्त नहीं हुए/सदस्यों से कुछ आपत्तियां एवं दावे प्राप्त हुए। प्राप्त आपत्तियों के
 निराकरण के पश्चात नियम 49—गग (5) के अनुसार अंतिम मतदाता सूची संशोधित की जाकर, जो
 क्रमांक 1 सेतक है, प्रकाशित की जाती है।

संलग्न : अंतिम मतदाता सूची
 सरल क्र 01 से.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सहकारी सोसाइटी मर्यादित

टीप :—रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यक्ति एसे विनिश्चय के तीन दिन के अंदर¹
 अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. / दिनांक.....

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर, की ओर सूचनार्थ।
2. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक (समन्वयक) की ओर सूचनार्थ।
3. सोसाइटी के सूचना पटल पर अध्यक्ष/प्रबंधक मतदाताओं के अवलोकन हेतु चर्चा करने एवं
 प्रमाणित मतदाता सूची की अतिरिक्त प्रतियां तैयार करने हेतु।

.....
 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (सोसाइटी का नाम)की मतदाता सूची मेरे
 कार्यालय के सूचना पटल पर चर्चा कर (दिनांक).....को प्रकाशित की गई।

(हस्ताक्षर)
 सील”

4. प्ररूप छ-6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“प्ररूप छ – 6(क)

(नियम 49—गग के उप—नियम (5) देखिये)

(अपीलीय अधिकारी हेतु)

अपील प्राप्ति की पंजी

सहकारी सोसाइटी का नाम

क्र.	अपीलकर्ता का नाम एवं सदस्यता क्रमांक	दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने का दिनांक एवं समय	अपील का संक्षिप्त विवरण	अपील निराकरण का संक्षिप्त विवरण	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

टीप : निर्धारित समयावधि में अपील प्राप्त होने अथवा न होने पर, यथा स्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में, अपीलीय अधिकारी को लिखित में सूचना दी जायेगी साथ ही उसके विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तथा इस प्ररूप की सत्यप्रतिलिपि भी संलग्न की जायेगी।

प्ररूप छ – 6(ख)

(नियम 49—गग का उप—नियम (5) देखिये)

कार्यालय – रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहकारी सोसाइटी मर्या.

पंजीयन क्र., जिला.....

क्र. दिनांक:

अंतिम मतदाता सूची (चिन्हित प्रति) का प्रकाशन

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक/निर्वाचन/.....

दिनांक..... के द्वारा मुझे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नियम 49—गग (3) के अनुसार दिनांक..... को मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई थी। सदस्यों से कोई भी आपत्तियां एवं दावे प्राप्त नहीं हुए/सदस्यों से कुछ आपत्तियां एवं दावे प्राप्त हुए। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् एवं प्राप्त अपीलों पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त विनिश्चय नियम 49—गग (5) के अनुसार, सूची संशोधित की जाकर अंतिम मतदाता सूची (चिन्हित प्रति) जो क्रमांक 1 से..... तक है, वार्षिक साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन में मण्डल के होने वाले चुनाव हेतु प्रकाशित की जाती है।

संलग्न : अंतिम मतदाता सूची (चिन्हित प्रति)

स. क्र. 01 से.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित

टीप :— सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49—गग(5)(घ) के प्रावधान अनुसार कोई व्यक्ति जिसका नाम सूची में चिन्ह "X-व्यक्तिक्रमी" से दर्शाया गया हो, ऐसी तारीख जिस पर मतदान होना है, के पूर्व, किसी भी समय अपने उन शोध्यों को, जिनके कारण वह सूची में व्यक्तिक्रमी के रूप में दर्शाया गया था, संबंधित सोसाइटी को आवश्यक संदाय करने के पश्चात् और उसके परिणामस्वरूप प्ररूप छ—7 में, सबूत प्रस्तुत करने पर रिटर्निंग अधिकारी से सूची ठीक करवा सकेगा।

क्र. /

दिनांक.....

प्रतिलिपि:—

- सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर, की ओर सूचनार्थ।
- पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक (समन्वयक) की ओर सूचनार्थ।
- सोसाइटी के सूचना पटल पर अध्यक्ष/प्रबंधक मतदाताओं के अवलोकन हेतु चर्चा करने एवं प्रमाणित मतदाता सूची की अतिरिक्त प्रतियां तैयार करने हेतु।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित,.....

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि (सोसाइटी का नाम) की मतदाता सूची मेरे कार्यालय के सूचना पटल पर चर्चा कर दिनांक..... को प्रकाशित की गई।

(हस्ताक्षर)
सील"

5. प्ररूप छ-8, छ-9 एवं छ-10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“प्ररूप छ-8

(नियम 49-ड. (3) देखिये)

कार्यालय — रिटर्निंग अधिकारी..... सहकारी सोसाइटी मर्या.....
पंजीयन क्र. जिला
क्र. दिनांक

निर्वाचन कार्यक्रम

राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यालय आदेश क्र. दिनांक के द्वारा
मुझे सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। मण्डल के सदस्यों
के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित निर्वाचन कार्यक्रम निश्चित किया गया है जिसे सोसाइटी के समस्त मतदाताओं के सूचनार्थ
हेतु एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

1.	सोसाइटी की पंजीकृत उप-विधि के अनुसार, मण्डल के लिए निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या	विवरण निम्नांकित है –	
	(क) अनारक्षित वर्ग से	इसमें से महिला वर्ग हेतु आरक्षित.....	
	(ख) अनुसूचित जाति वर्ग से.....	इसमें से महिला वर्ग हेतु आरक्षित.....	
	(ग) अनुसूचित जनजाति वर्ग से.....	इसमें से महिला वर्ग हेतु आरक्षित.....	
	(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग से.....	इसमें से महिला वर्ग हेतु आरक्षित.....	
	योग	योग	
	टीप: 1. जिस वर्ग में महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है उसे ‘निरंक’ दर्शाया जाये। 2. सभी अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ आधार/मतदाता पहचान पत्र/लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाये। 3. आरक्षित वर्ग में नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाने के साथ जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।		
2.	नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान, समय	दिनांक..... से..... तक समय	
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा (जांच) एवं वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन	दिनांक..... को समय..... से संवीक्षा (जांच) पूर्ण होने तक। स्थान—सोसाइटी कार्यालय.....	
4.	नामांकन पत्रों की वापसी का दिनांक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन चिन्हों का आवंटन	दिनांक..... समय से..... तक. स्थान—सोसाइटी कार्यालय.....	
5.	विशेष साधारण सम्मिलन में मतदान दिनांक एवं मतगणना	दिनांक..... समय..... से..... तक. स्थान—सोसाइटी कार्यालय..... (मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद मतगणना प्रारंभ की जायेगी।)	
6	सहयोजन, यदि पद रिक्त हो, तो सहयोजन हेतु गणपूर्ति आवश्यक होगी एवं सहयोजन जिस वर्ग का रिक्त पद है, उसी वर्ग से किया जाएगा।	दिनांक..... समय..... से..... तक. स्थान—सोसाइटी कार्यालय.....	
7.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अन्य सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की सूचना जारी करना।	दिनांक	
8.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन दिनांक, समय एवं स्थान।	दिनांक..... समय से..... तक. स्थान—सोसाइटी कार्यालय.....	

रिटर्निंग अधिकारी

..... सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....

क्र./निर्वाचन/

दिनांक.....

प्रतिलिपि

1. अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक सहकारी सोसाइटी.....
तहसील..... की ओर, चुनाव कार्यक्रम, सोसाइटी के सूचना पटल पर चस्पा करने
तथा सोसाइटी के समस्त मतदाताओं को साधारण सम्मिलन की सूचना के साथ प्रेषित
करने की व्यवस्था करने हेतु।
2. सचिव राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत.
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक (समन्वयक) की ओर सूचनार्थ।

रिटर्निंग अधिकारी
..... सहकारी सोसाइटी मर्यादित,.....

प्ररूप छ-9
(नियम 49-ड. (3) देखिये)

कार्यालय – रिटर्निंग अधिकारी..... सहकारी सोसाइटी मर्या.....
 पंजीयन क्र..... जिला

सूचना

क्र./ निर्वाचन/साधारण समिलन/ दिनांक.....

प्रति,
 श्री

.....

महोदय,

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि सोसाइटी का विशेष साधारण समिलन दिनांक को दिन के.....(बजे) (स्थान).....पर आयोजित की गई है जिसकी अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है ।

विषय सूची –

1. सोसाइटी की उप-विधि कमांक..... के अनुसार मण्डल के सदस्यों हेतु निर्वाचन आयोजित करना ।

नोट :- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम संलग्न है। मतदाताओं से निवेदन है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लायसेंस, पेन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि, अपने साथ रखें ।

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,
सहकारी सोसाइटी मर्यादित,

प्ररूप छ - 10

(नियम 49-ड. (4) देखिये)

संचालक / प्रत्यायुक्त पद हेतु नामांकन पत्र का प्ररूप

1. सोसाइटी का नाम
पंजीयन क्रमांक
2. वर्ग जिसके लिए अभ्यर्थी
द्वारा नामांकन प्रस्तुत किया गया है,
3. अभ्यर्थी का नाम, पिता / पति का नाम
और पूर्ण पता
4. मतदाता सूची में अभ्यर्थी का सरल क्रमांक
5. प्रस्तावक का नाम तथा मतदाता सूची में
उसका सरल क्रमांक
6. प्रस्तावक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
7. अनुमोदक का नाम तथा मतदाता सूची में
उसका सरल क्रमांक
8. अनुमोदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
9. प्रत्याभूति राशि, रसीद क्रमांक तथा दिनांक
10. प्रत्याभूति राशि, रसीद क्रमांक तथा दिनांक

घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा घोषित करता / करती हूं कि इस नामांकन से मैं, सहमत हूं तथा मैं सोसाइटी के संचालक पद के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1962 तथा सोसाइटी की रजिस्ट्रीकृत उप-विधियों के अंतर्गत यथा विहित अर्हताएं धारित करता हूं।
2. मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही है।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टीप - 1. यदि अभ्यर्थी, प्रस्तावक या अनुमोदक, किसी सोसाइटी का प्रतिनिधि है, तो उस सोसाइटी का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, भी उल्लिखित किया जाएगा। यदि सरल क्रमांक 1 और 2 खाली छोड़ दिये गये हैं तो नामांकन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर से या सील लगाकर ऐसे खाली स्थानों को भरेगा।

2. सभी अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ आधार / मतदाता पहचान पत्र / लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।

3. आरक्षित वर्ग में नामांकन प्रस्तुत किए जाने पर जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जाये।

पावती

सरल क्रमांक.....

श्री.....द्वारा मुझे दिनांक.....कोबजे
नामांकन पत्र सौंपा गया।

दिनांक.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर"

6. प्ररूप छ-22, के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“प्ररूप छ – 22(क)

(नियम 49-ड. के उप-नियम (22) के अंतर्गत)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.....

पंजीयन क्र.....जिला.....

क्र.दिनांक.....

सहयोजन द्वारा निर्वाचित संचालकों का विवरण

..... सहकारी सोसायटी मर्यादित के मण्डल के सदस्य पद हेतु, सहयोजन द्वारा निर्मांकित उम्मीदवारों को उनके समुख उल्लिखित वर्ग में निर्वाचित घोषित किया जाता है। यह घोषणा, सहयोजन हेतु आयोजित बैठक दिनांक को की गई।

स. क्र.	पद का नाम	वर्ग	अन्यर्थी का नाम पिता/पति के नाम सहित
1.			
2.			
3.			

स्थान.....

दिनांक..... रिटर्निंग अधिकारी
समय..... सहकारी सोसाइटी मर्या.....

क्र. / निर्वाचन/ दिनांक:

प्रतिलिपि:—

1. अध्यक्ष/प्रबंधक की ओर सूचना के लिए सोसायटी के सूचना पटल पर चर्चा करने हेतु एवं एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड हेतु।
2. सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक (समन्वयक), की ओर सूचनार्थ।

..... रिटर्निंग अधिकारी
..... सहकारी सोसाइटी मर्या.”

7. प्ररूप छ-23, छ-24 एवं छ-26, के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“प्ररूप छ - 23

(नियम 49-च का उप-नियम (1) देखिये)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी..... सहकारी सोसाइटी मर्या.
पंजीयन क्र..... जिला.....
क्र. दिनांक.....

प्रथम सम्मिलन की सूचना

प्रति,

श्री

सदस्य, मण्डल

.....
सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....

विषय: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आयोजित कराने बाबत।

नवनिर्वाचित सदस्यों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित विवरण (कार्यक्रम) अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु दिनांक.....
..... को समय स्थान..... पर सम्मिलन आहूत किया गया है, जिसके लिए गणपूर्ति आवश्यक है।

1. पदों का विवरण, जिनके लिए निर्वाचन किया जाना है –

(क) अध्यक्ष – एक पद
(ख) उपाध्यक्ष – एक पद (संसाधन समिति हेतु 2 पद)
(ग) अन्य सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों का विवरण –
(1)
(2)
(3)
(4)

2. निर्वाचन हेतु समय सहित कार्यक्रम निम्नानुसार है –

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के संचालन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त करना (रिटर्निंग अधिकारी द्वारा)।
(ख) प्राप्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा।
(ग) अभ्यर्थिता वापसी हेतु समय।
(घ) मतदान (यदि आवश्यक हो तो) एवं मतगणना का समय (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद मतगणना की जायेगी एवं परिणामों की घोषणा की जायेगी)।

रिटर्निंग अधिकारी
..... सहकारी सोसाइटी मर्या.

ठीप: नामांकन पत्र के लिये प्ररूप नियम 49 (ड.) का उप-नियम (4) देखिये।

क्र./निर्वाचन/ दिनांक:

प्रतिलिपि:

1. सचिव, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक (समन्वयक) की ओर सूचनार्थ।

रिटर्निंग अधिकारी
..... सहकारी सोसाइटी मर्या.

प्ररूप छ – 24
(नियम 49-च का उप-नियम (3) देखिये)

**अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि के पद के लिए निर्वाचन के संचालन हेतु
नामांकन पत्र का प्ररूप**

1. सोसाइटी का नाम
.....
2. पंजीयन क्रमांक
.....
3. पद एवं वर्ग जिसके लिए नामांकन
प्रस्तुत किया गया है,
.....
4. अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम
और पूर्ण पता
.....
5. अभ्यर्थी का वर्ग (जिससे वह मण्डल के सदस्य
के रूप में निर्वाचित हुआ है)
.....
6. प्रस्तावक का नाम तथा हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
.....
7. अनुमोदक का नाम तथा हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
.....

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतदद्वारा, घोषित करता/करती हूँ कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रतिनिधि पद हेतु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1962 तथा सोसाइटी की रजिस्ट्रीकृत उप-विधियों में यथा विहित अर्हताएं धारण करता हूँ तथा निर्वाचित होने पर, इसमें वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करूँगा।

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्ररूप छ - 26

(नियम 49-च का उप-नियम (8) देखिए)

कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी.....सहकारी सोसाइटी मर्या.

पंजीयन क्र., जिला.....

क्र./निर्वाचन/....., दिनांक.....

प्रति,

सचिव,
राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़, रायपुर.समन्वयक/पंजीयक/संयुक्त पंजीयक/उप पंजीयक/सहायक पंजीयक सहकारी
सोसाइटियांविषय :- सोसाइटी के मण्डल एवं अन्य सहकारी सोसाइटी के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की
विवरणी।

संदर्भ :- आपका कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वाचन/....., दिनांक.....

उपरोक्त उल्लिखित विषय एवं उपरोक्त यथा संदर्भित आदेश के पालन में मेरे द्वारा
सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....तहसील.....जिला..... के
मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन, सोसाइटी की वार्षिक साधारण सम्मिलन/विशेष साधारण सम्मिलन
दिनांक.....में कराया जाकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधियों
का निर्वाचन विधिवत सम्पन्न कराया गया है। निर्वाचित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :

(क) मण्डल

सं. क्र.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता पिता/पति के नाम सहित	वर्ग	मूल वर्ग	पद
				अध्यक्ष
				उपाध्यक्ष
				सदस्य

(ख) अन्य सहकारी सोसाइटियों के प्रतिनिधि

क्र.	प्रतिनिधि का नाम	मूल वर्ग	सोसाइटी का नाम जिसके लिए प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया गया है
1.			
2.			
3.			

रिटर्निंग अधिकारी
सहकारी सोसाइटी मर्या.

//2//

क्र. /निर्वाचन/
प्रतिलिपि:

दिनांक:.....

1. महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.....
2. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित....., शाखा की ओर सूचनार्थ।
3. सहकारिता विस्तार अधिकारी,विकास खण्ड..... की ओर सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष/प्रबंधक.....सहकारी सोसाइटी मर्यादित.....
5. प्रबंधक, जिला सहकारी संघ मर्यादित
6.उक्त समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रिटर्निंग अधिकारी
.....सहकारी सोसाइटी मर्या.
तहसील....."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

Nav Raipur Atal Nagar, the 4th December 2024

NOTIFICATION

No./F 15-24/15-2/2023. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 95 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 49-CC,-

- (i) for sub-clause (v) of clause (b) of sub-rule (1), the following sub-clause shall be substituted, namely :-
"(v) the date of appointment of the Administrator under Section 53 or Authorized Officer under sub-section (8) of Section 49, if any;"
- (ii) in sub-rule (2), for the words "member list", the words "voter list" and for the words "list of member", the words "list of voters" shall be substituted, respectively.
- (iii) after sub-clause (iii) of clause (a) of sub-rule (3), the following sub-clause shall be added, namely :-
"(iv) "by E-mail".
- (iv) for clause (d) of sub-rule (3), the following clause shall be substituted, namely :-
"(d) Registration Officer, with the publication of information referred to above, shall make available one copy of voter list in the office of the coordinator and in the office of concerned society for inspection and communicate the Commission the intimation of publication by registered post or E-mail."

- (v) in clause (a) of sub-rule (4), for the words “to the registration officer, with signature/thumb impression” the words “to the registration officer or any person duly authorized by him in writing, with signature/thumb impression” shall be substituted.
- (vi) (a) in clause (e) of sub-rule (5), for the words “The decision of Appellate Authority shall be final” the words “The decision of Appellate Authority shall be final. An Appellate authority shall maintain a registrar in Form G-6 (A) to receive appeals.” shall be substituted.
- (b) for the first and second proviso of clause (e) of sub-rule (5), the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that, if the appeal is not disposed of in time period of 07 days by Appellant Authority, the voter list (marked copy), finalized by the Registration Officer shall be binding and conclusive and after such finalization the marked voter list shall be issued by the Registration Officer in Form G-6(B) :

Provided further that, on his own motion the Commissioner may issue instructions for necessary amendment, modification, addition or deletion in the marked copy issued by the Registration Officer within 07 days and no amendment, modification, addition or deletion in any entry of such voter list (marked copy) issued, after such finalization thereof shall be allowed until the election process is completed.”

- (vii) in clause (g) of sub-rule (5), for the words “final list of membership” the words “final list of voters” shall be substituted.

2. In rule 49-E,-

- (i) for clause (d) of sub-rule (3), the following clause shall be substituted, namely :-
“(d) If the post is vacant, the date and place of co-option and polling.

(ii) for clause (d) of sub-rule (4), the following clause shall be substituted, namely :-

“(d) Each candidate, either personally or through his proposer or seconder, shall deliver a nomination paper in Form G-10 accompanied by self-attested copy of Aadhaar Card or a copy of voter Identity card issued by Election commission of India or a copy of driving License to the Returning Officer :

Provided that in case of nomination filed by any person belonging to the reserved class then in such a condition self-attested copy of caste certificate shall also be presented to the Returning Officer by such person filing nomination.”

(iii) after clause (v) of sub-rule (22), the following clause shall be added, namely :-

“(vi) If post is vacant, a meeting to be held of the board for the purpose of filling up the vacant post of member of board shall be presided over by the returning officer and a co-option of eligible member shall be made by a resolution passed/moved by a simple majority of members present and voting. The returning officer shall declare the name of member of board elected by co-option in form G-22(A).”

(iv) after sub-rule (23), the following sub-rule shall be added, namely :-

“(23-A) The records maintained by the commission relating to the election of the societies shall not be destroyed until the next election of the society or final settlement of election petition presented before any court of Law. Thereafter the commissioner may issue instructions for the disposal of the election file maintained in the Commission, after 05 years from the date of the first meeting of board of directors of the society.”

3. For Form G-1, G-2, G-3, G-4, G-5 and G-6, the following Form shall be substituted, namely:-

"Form G-1

[See rule 49-CC(1)]

..... Co-operative Society Ltd., Registration No.
Block District

List of members

S. No.	Serial Number of the Membership Register	Name of the Member	Name of the Father/ Husband	Residence (Name of the Village)	Class (SC/ST/OBC/ Unreserved)	Male/ Female	Loan, if any	"X" Defaulter	"Z" Inactive	Eligibility/ Non-eligibility as per bye-laws	Mob No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Note :- The format of the list of members where election are held through the representatives shall be as follows :

S. No	Serial Number of the Membership Register	Name of the Member Society	Name of the representative	Residence (Name of the Village)	Class of the representative (SC/ST/ OBC/ General)	Male/ Female	Member society is defaulter or not	"X" Defaulter	"Z" Inactive	Eligibility/ Non-eligibility as per bye-laws	Mob No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Class wise details of members shall be summarized in the following format :

Total Number of Members			Unreserved/General		Other Backward Class		Scheduled Caste		Scheduled Tribes	
Male	Female	Total	Numbers	Percent	Numbers	Percent	Numbers	Percent	Numbers	Percent

CERTIFICATE

(To be issued by Chairmen / Authorized Officer / manager/Chairmen Chief Executive Officer of the Society)

It is hereby, certified that the information given in the member list is true and certified as per record of the society. Undersigned shall be responsible for providing necessary record during the hearing of objections on member list.

Chairmen/ Authorized Officer / Manager / Chief Executive Officer of
the Society

Full Address of Society

Mobile Number.....

E-mail

Form G-2

[See rule 49-CC (1)]

Office of theCo-operative Society Ltd.
Registration No.
 No./Election/.....
 Dated.....

To,

The Secretary,
 State Co-Operative Election Commission,
 Chhattisgarh Raipur.

Subject : Application for the election of new Board/ Representatives of the society.

It is hereby submitted that the election for the Board of theCo-operative Society Limited..... was held on (date). The expiry of term of Board of the society is due on (date). The Board has passed a resolution in its meeting dated for elections. Application for the election with true copy of resolutions for the election of Board, copy of bye-laws is hereby submitted with the following details:-

- (a) The date on which the last elections were held-
- (b) The date of the expiry the term of existing Board, its members-
- (c) The date on which administrator was appointed under Section 53 or Authorized Officer under Section 49(8), if any
- (d) In case of newly registered society, date of registration
- (e) Number of vacant posts, to be filled by elections :-
 - (i) Number of member of Board.....
 - (ii) Number of representatives to be elected.....
 - (iii) Number of delegates to be elected, if any.....
- (f) Whether the bye-laws provide for creation of wards or constitution of general body of delegates before the election of the Board, and action taken therefore, if any-
- (g) Any other information which is relevant for the conduct of elections, if any-
- (h) Detail of processing fee-

Chairman/ Authorized Officer / Manager/Chief Executive Officer
 Co-operative Society Ltd.

Mobile Number.....

E-mail

Form G-3

[See rule 49-CC(3)]

NOTICE TO THE MEMBERS FOR INVITING OBJECTIONS ON VOTER LIST

Office of the Registering Officer Co-operative Society Ltd.

Registration No. District

No./Election/.....

Dated

NOTICE

It is hereby informed that the election for the members of the Board is scheduled to be held on upcoming Annual General Meeting/Special General Meeting of Society, **the election programme containing details of election to be held will be issued subsequently by the returning officer.**

Therefore, list of voters has been published on (date) on the notice board of the office of the society, Deputy/Assistant Registrar, Co-operative Societies, Block Development Office and branch of the financing bank. If any member submit to any objection or claim on it, he/she can submit the same in writing with evidence from (date) to(date) to **Shri/Smt. Designation authorized by me in the office of the society or to me in the office of the The claims and objections submitted by the members shall be disposed of on (date) at (time) in the office of the society.**

Members may present on the date of disposal of claims and objections. No individual notice shall be issued for regarding of such claims/objections. If any member has any objection or claim and he doesn't present, then the objections or claims of the member shall be disposed of as per available records.

Registering officer

..... Co-operative Society Ltd.

To,

Shri/Smt.

.....

Form G-4

[See rule 49-CC (3)]

Office of the Registering Officer..... Co-operative Society Limited.....

Registration No. District.....

No./Election/ Dated.....

First Publication of Voter List

I, have been appointed as the Registering Officer by the State Co-Operative Election Commission, Chhattisgarh vide order No./Election/ dated for the finalization of the member list of the society.

Therefore, I Registering Officer ofcooperative Society Limited, hereby, publish the voter list of the society under sub-rule (3) of Rule 49-CC of Chhattisgarh Co-Operative Society Rules, 1962 for the election and hereby inform that if any member has any objection or claim regarding this voter list, he/she may submit his/her objections or claims with evidence in writing to **Shri/Smt.**

Designation **authorized by me in the office of the society or to me in office-time in the office of the** from the date of publication of list to(date).

Claims and objection submitted on the list shall be disposed of at(time) on(date) in the office of the society and list so modified shall be published as final voter list.

Enclosed : List of voters from numberto.....

Place :

Date :

Registering Officer
.....Co-operative Society Ltd.

No./.....

Date.....

Copy to :

1. Secretary, State Co-Operative Election Commission, Chhattisgarh, Raipur for information.
2. Registrar/Join Registrar/Deputy Registrar/Assistant Registrar (coordinator) for information.
3. Block Development Officer, Block
4. Branch Manager, District Central Co-operative Bank Limited, Branch
5. Chairman/Manager for pasting on the notice board of society for perusal of members from..... (date) to(date) and for providing certificate of publication.

Registering Officer
.....Co-operative Society Ltd.

Form G-5

[See sub-rule (4) of rule 49-CC]

Register of objection and claims received on voter list

Name of Society

Sr. No.	Name and membership number of the claimant	Date and time of submitting objection or claim	Short detail of the objection or claim	Short detail of disposal of objection or claim	Signature
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Registering Officer

.....Co-operative Society Ltd.

Form G-6

[See sub-rule (5) of rule 49-CC]

Office - Registration officerCo-operative Society Ltd.

Registration No. Dist.

No.

Date

Notice of Final Publication Of Voter List

I have been appointed the Registration officer by the State Cooperative Election Commission, Chhattisgarh vide order No. / Election //Dated In exercise of the powers conferred by the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 and Rule 1962, the list of voters was published, as per Rule 49-CC(3) on..... (date). No objection or claim was received from the members / certain objections and claims were received from the members. After disposal of received objections, **the final list of voters, having been amended as per Rule 49-CC(5) ,number 1 to, is published.**

Enclosure: Final list of Voters.

serial no. 01 to

Registration Officer

... Co-operative Society Ltd.

Note : Aggrieved person from the decision of Registration officer may prefer an appeal before Appellate authority within three days of such decision.

No./.....

Date

Copy to :-

1. Secretary, State Cooperative Election Commission, Chhattisgarh, Raipur For information.
2. Registrar / Joint Registrar / Deputy Registrar / Assistant Registrar (Coordinator) For information.
3. Chairman / Manager for pasting on the notice board of society for perusal of voters, and for preparing additional copies of the certified list of voters.

Registration Officer
.. Co-operative Society Ltd....

CERTIFICATE

It is certified that the voter's list of (Name of the Society) has been published by me on (date) on the notice board of the office .

(Signature)
Seal"

**4. After Form G-6, the following Form shall be inserted,
namely:-**

“Form G-6 (A)

[See sub-rule (5) of rule 49-CC]

(For Appellate Authority)

Register of appeals received

Name of Co-operative Society

No.	Appellant's name and membership number	Date and time of submitting objection or claim	Short detail of appeal	Short detail of disposal of appeal	Signature
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Note : The appellate authority will inform in writing to the registration officer about the appeal cases wheather received by him or not within a stipulated period, alongwith a copy of his decision thereon and also enclose a true copy of this form.

Form G-6 (B)

[See sub-rule (5) of rule 49-CC]

Office -Registration officerCo-operative Society Ltd.

Registration No. Dist.

No.

Date

Publication Of Final Voter List (Marked Copy)

I have been appointed the Registration officer by the State Cooperative Election Commission, Chhattisgarh vide order No. / Election //Dated In exercise of the powers conferred by the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 and Rule 1962, the list of voters was published, as per Rule 49-CC(3) on..... (date). No objection or claim was received from the members /certain objections and claims were received from the members. After disposal of received objections and the decision given by the appellate authority on received appeals, the final list of voter (marked copy), having been amended as per Rule 49-CC(5) ,number 1 to, is published for the election of the Board to be conducted in Annual general meeting / Special general meeting.

Enclosure: Marked copy of Final List of voters

serial no. 01 to.....

Registration Officer

... Co-operative Society Ltd.

Note:- As per the provisions of Rule 49-CC (5)(d) of the Co-operative Societies Rules, 1962, any person whose name is shown in the list with sign "X- Defaulter", may, at any time before the date on which polling is to be held, after making necessary payment of his dues on account of which he had been shown as defaulter in the list of the society concerned and on production of a proof in token thereof in Form G-7, get the list corrected by the Returning Officer.

No./.....

Date

Copy to :-

1. Secretary, State Cooperative Election Commission, Chhattisgarh, Raipur For information.
2. Registrar / Joint Registrar / Deputy Registrar / Assistant Registrar (Coordinator) For information.
3. Chairman / Manager for pasting on the notice board of society for perusal of voters, and for preparing additional copies of the certified list of voters.

Registration Officer

.. Co-operative Society Ltd.....

CERTIFICATE

It is certified that the voter's list of (Name of the Society) has been published by me on (date) on the notice board of the office .

(Signature)
"Seal"

5. For Form G-8, G-9 and G-10, the following Form shall be substituted, namely:-

“Form G-8

[See rule 49-E(3)]

Office – Returning Officer, Co-operative Society Limited

Registration No. District

No. Date

ELECTION PROGRAMME

Vide office Order No. dated of the State Co-operative Election Commission, Chhattisgarh, I have been appointed Returning Officer for conduct of election of Co-operative society. The following election programme has been decided for the election of members of Board, which is published hereby for the information to all members of the society.

1. As per the registered bye-laws of the society, total number of members to be elected for the Board	Description given below.....
(a) From Unreserved	Out of these, reserved for women
(b) From Scheduled Caste Category	Out of these, reserved for women
(C) From Scheduled Tribe Category	Out of these, reserved for women
(d) From Other Backward Class Category	Out of these, reserved for women
Total	Total

Note:1. The Category in which no provision for women reservation has been done, shall be shown 'NIL'.

2. Self-attested copy of the Aadhar/voter id/licence shall be attached with nomination form by all candidates.

3. Self-attested copy of the caste certificate shall be attached with the nomination paper submitted in the reserved category.

2. Date, Place, time for receiving nomination papers.	Date from to Time Place – Office of the society
3. Scrutiny of nomination papers, and publication of valid nomination papers.	On date From time Till completion of scrutiny Place – Office of the society
4. Date of withdrawal of nomination papers, publication of final list of contesting candidates and allotment of election symbols.	Date Time from to Place – office of the society
5. Polling date in Special General Meeting and counting of votes.	Date Time from to Place – Office of the society (The counting shall begin after an hour of completion of polling)
6. Co-option, if post is vacant . Quorum will be necessary for the co-option and the co-option will be done from the same class for which the post is vacant.	Date Time from to Place – Office of the society
7. Issuance of information for the election for Chairman / Vice-Chairman, Representatives to other co-operative societies.	Date
8. Date, time and place for election for Chairman / Vice-Chairman and Representatives to other co-operative societies.	Date Time from to Place – Office of the society

Returning officer

..... Co-operative Society Ltd.

Dated

No./Election/

Copy to :

- Chairman/ Authorized Officer /Manager Co-operative Society, Tahsil for pasting the election programme on the notice board of the society, and arrange to dispatch for all members the same with notice of general meeting.
- Secretary State Co-Operative Election Commission, Chhattisgarh, Raipur for information.
- Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar/Assistant Registrar (Coordinator) for information.

Returning officer

..... Co-operative Society Ltd.

Form G-9
[See rule 49-E (3)]

Office -Returning Officer..... Co-operative Society Limited.....

Registration No. District.....

NOTICE

No./Election/General Meeting/.....

Dated.....

To,

Shri

.....

Sir,

You are hereby informed that a special general meeting of the society has been scheduled to be held at (place) on (date) at (time), which shall be chaired by returning officer, and your presence is solicited.

Subject list –

1. To conduct election for the members of Board as per the bye-law no..... of the society.

Note : The election programme declared by returning officer is enclosed. The voters are requested to keep with them any one of the following identity proof as epic card, driving license, pan card, ration card, aadhaar card etc. to avoid any inconvenience.

Chairman/ Authorized Officer /Manager
.....Co-operative Society Ltd.

Form G-10
[See rule 49-E(4)]

Form of nomination paper for the post of Director/Delegate

1. Name of Society
2. Registration Number
3. **Category for which nomination has been filed**
4. Name of candidate, name of father/husband and Complete address
5. Serial number of candidate in voter list
6. Name of the Proposer and his Serial number in Voter list
7. Signature of Proposer (with date)
8. Name of the Seconder and his Serial number in Voter list
9. Signature of Seconder (with date)
10. Security amount, receipt number and date

Declaration

1. I hereby declare that I agree with this nomination and I possess the qualifications for the post of Director, as prescribed in Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 and Rules 1962 and registered bye-laws of the society.
2. The information provided by me is absolutely true as per my knowledge and belief.

Date : Signature of Candidate

Note –(1) In case, the candidate, proposer or seconder is a representative of a society, the name of the society which he represents shall be mentioned. If the entries at serial no.1 and 2 have been left blank, the person who receives nomination form, shall fill such blank spaces under his signature or seal.

(2) Self attested copy of the Aadhar/voter id/license shall be attached with nomination form by all candidates.

(3) Self attested copy of the caste certificate shall be attached with the nomination paper submitted in the reserved category.

ACKNOWLEDGEMENT

Serial Number

Shri Submitted his nomination paper to me on (date).

Date

Signature of Returning Officer”

**6. After Form G-22, the following Form shall be inserted,
namely:-**

“Form G-22 (A)

[Under Sub-rule (22) of rule 49-E]

Office of the Returning Officer, Co-operative Society Ltd.

Registration No. District

No.

Date

Details of Directors elected by co-option

Following candidates are declared elected by co-option, for the post of member of Board of Co-operative Society Ltd. In the categories mentioned against their names. This declaration has been made in the Meeting conducted for co-option dated.

S.No.	Name of Post	Class	Name of Candidate with name of Father/Husband
1.			
2.			
3.			

Place :

Date :

Time :

Returning Officer

..... Co-operative Society Ltd.

No./Election/.....

Date

Copy to :

1. Chairman/Manager for pasting on the notice board of society, for information and one copy for record.
2. Secretary, State Co-operative Election Commission, Chhattisgarh, Raipur, for information.
3. Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar/Assistant Registrar (Co-ordinator), for information.

Returning Officer

..... Co-operative Society Ltd.”

7. For Form G-23, G-24 and G-26, the following Form shall be substituted, namely :-

“Form G-23

[See sub-rule (1) of rule 49-F]

Office of the Returning Officer, Co-operative Society Limited.....

Registration No. District.....

No.

Dated.....

INFORMATION OF FIRST MEETING

To,

Shri

Member, Board

..... Co-operative Society Ltd.

Sub. : For conducting elections for Chairman, Vice-Chairman and Representatives to other Co-operative societies.

It is informed to newly elected members that a meeting has been called on date at time at place for the conduct of election, as per the programme mentioned below, for the post of Chairman, Vice-Chairman and Representatives to other Co-operative societies, for which quorum is mandatory.

1. Details of post for which elections to be held –

- (a) Chairman - One Post
- (b) Vice-Chairman -One Post (2 post for Resource Society)
- (c) Details of Representatives to other co-operative societies –
 - (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4)

2. The programme for the election with time is given below -

- (a) To receive Nomination Forms (by Returning Officer) for the conduct of election for Chairman, Vice-Chairman and Representatives to other Co-operative societies.
- (b) Scrutiny of Nomination Forms received
- (c) Time for withdrawal of candidature
- (d) Polling (if required) and time of counting of votes (Counting of votes will take place immediately after the polling, and results will be declared.)

Returning Officer

.....Co-operative Society Ltd.

Note- See sub-rule (4) of rule 49 (E) for form of Nomination paper.

No./Election/.....

Dated.....

Copy to :

1. Secretary State Co-Operative Election Commission, Chhattisgarh, Raipur for information.
2. Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar/Assistant Registrar(Coordinator)for information.

Returning Officer

.....Co-operative Society Ltd.

Form G-24

[See sub-rule (3) of rule 49-F]

**Form of Nomination paper for conduct of elections for the post
of Chairman/Vice-Chairman and Representative**

1. Name of the Society
2. Registration No.
3. **Post and Class for which nomination has been filed**
4. Name of Candidate, Father/Husband name and full Address

.....5. Class of Candidate (from which he/she has been elected as member of the board)
6. Name of the Proposer and signature (with date)
7. Name of the Seconder and signature (with date)

Date

Signature of Candidate

DECLARATION

I hereby declare that I possess the qualifications for the post of Chairman/Vice-Chairman/Representatives as prescribed in the Chhattisgarh Cooperative Societies Act,1960 and Rules1962 and registered bye-laws of the society; and shall, on being elected, obey the provisions mentioned therein.

Date

Signature of Candidate

Form G-26

[See sub-rule (8) of rule 49-F]

Office of the Returning Officer, Co-operative Society Ltd.
Registration No. District

No./Election/..... Dated.....

To

The Secretary,
State Co-operative Election Commission
Chhattisgarh, Raipur
Coordinator/Registrar/Joint Registrar/Deputy
Registrar/Assistant Registrar Co-operative Societies.

Sub.: Details of election for Board of the Society and Representatives to other co-operative societies.
Ref.: Your official order No./Election/....., dated

In compliance of the order as referred to above and subject as mentioned as above, the election for the members of Board of co-operative society Ltd., Tehsil....., District having been conducted in Annual General Meeting/Special General Meeting, of the society dated, the elections for the posts of Chairman, Vice-Chairman and Representatives to other co-operative societies have been duly held by me. The particulars of elected persons are follows:

(A) Board

S.N.	Name of address of candidate with name of father/husband	Class	Original class	Post
				Chairman
				Vice-Chairman
				Member

(B) Representative to other Co-operative Societies

No.	Name of Representative	Original class	Name of the society for which elected as Representative
1.			
2.			

Returning Officer
Co-operative Society Ltd.

No./Election/.....

Dated

Copy to :

1. General Manager, District Central Co-operative Bank Ltd.
2. Branch Manager, District Central Co-operative Bank Ltd., Brach for information
3. Co-operative Extension Officer, Block For information.
4. Chairman/Manager Co-operative Society Ltd.
5. Manger, District Co-operative Union Ltd.
6. all above concerned for information and necessary action.

Returning Officer
Co-operative Society Ltd.
TahsilBy order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C.R. PRASANNA, Secretary.